न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 40/19 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2019/00085

उनवान

1. सुनील कुमार पुत्र सुखराम उम्र 40 वर्ष
2. डिगम्बर सिंह पुत्र सुखराम उम्र 32 वर्ष
3. फूलदेई पत्नी सुखराम उम्र 60 साल

} जाति जाट निवासी पला तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. चन्द्रवती पुत्री मानकचन्द पत्नी हरदेव सिंह जाति जाट निवासी पला तहसील कुम्हेर हाल निवासी ग्राम नांगल तहसील मांट जिला मथुरा उ0प्र0।
2. रामबाबू पुत्र मानक चन्द जाति जाट निवासी ग्राम पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवासी केयर ऑफ प्रेम सिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3. भगवान सिंह पुत्र पतराम उम्र 76 साल
4. लायकराम पुत्र पतराम उम्र 60 साल

} जाति जाट नि0 पला तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर।

5. सोनू पत्नी सुनील जाति जाट निवासी पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
6. दिनेश चन्द पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पला कुम्हेर जिला भरतपुर।
7. राजेश कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी ग्राम पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दि0 27.06.2005 मि.नं. 280/03 उनवानी चन्द्रवती बनाम रामबाबू।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक–28.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाद पत्र के खण्ड संख्या 03 में वर्णित विवादित आराजी वाके ग्राम पला तहसील कुम्हेर स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 सम्भाग प्रत्येक 1/4 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 सम्भाग प्रत्येक 3/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिसका कानूनन आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्व0 श्री मानकचन्द की मृत्यु हो चुकी है पिता की आराजी वर्णित मद संख्या 03 में वादी का 1/8 हिस्सा बनता है। अतः 1/8 हिस्से का अलग से कुर्रा बनाया जावें। विवादित आराजी अभी उनके पिता स्व0 श्री मानकचन्द के नाम दर्ज है। जिस वजह से प्रतिवादीगण आपस में साज किये हुये हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने एवं विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादीगण की तलवी हेतु विचाराधीन था। दिनांक 30.04.2005 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तलवी कराये उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा प्राथमिक डिक्री करते हुये विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये। विभाजन प्रस्ताव तैयारी हेतु भी मौके पर उपस्थित होने बाबत् प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किये गये। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार किये गये हैं। तहसीलदार ने अपने पत्र से अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव भेजे गये हैं। तहसीलदार के विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। जबकि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार का मौके पर उपस्थित होना आज्ञापक है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुयी है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2022(2) पेज 988 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विभाजन प्रस्ताव सहमति से तैयार हुये हैं एवं विभाजन प्रस्तावो पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित हैं। जिन पक्षकारो के हस्ताक्षर नहीं हैं, परन्तु उनके वारिसो के हस्ताक्षर अंकित हैं। नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 15.03.2005 तक वास्ते तलवी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 व अदायगी कोस्ट में विचाराधीन था एवं प्रकरण में दिनांक 15.03.2005 से अग्रिम पेशी दिनांक 30.04.2005 नियत की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2005 को प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 की तलवी हुयी अथवा नहीं बाबत् कोई अंकन ना करते हुये, प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति बताते हुये, प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। जबकि पत्रावली में उभयपक्ष की सहमति बाबत् कोई दस्तावेजी सांक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जब प्रकरण प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 की तलवी में विचाराधीन था, तो पक्षकारान द्वारा सहमति किस प्रकार दी जा सकती है। स्पष्ट नहीं है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं ना ही तहसीलदार के ही हस्ताक्षर अंकित हैं। जबकि विभाजन के प्रकरणो में स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है। विभाजन प्रस्तावो के साथ विवादित भूमि का कोई नजरी नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है। जबकि उप विभाजित भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करने एवं पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा हम अपील स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2005 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के नियमों की पूर्ण पालना करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.02.2024

(अखिलेश कुमार पिंपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)